यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल के माह 03/2015 से 06/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री ललित थपलियाल व श्री सूर्य पाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 19.07.2017 से 22.07.2017 तक श्री पी.सी.श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रामसनेही व श्री एस.के.सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अभिनव सिंह, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 05.03.2015 से 16.03.2015 तक श्री पी.सी.श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2013 से 02/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः जिला, नैनीताल

(ii) (अ) विगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	-	-	689.75	675.86	86.31	79.78	-	-
2015-16	-	-	731.75	697.67	79.74	78.69	-	-
2016-17	-	-	798.18	705.85	95.08	93.43	-	-
2017-18 (06/17 तक)	-	-	340.08	250.31	23.67	07.74		

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाईयों के विगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरणः शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी 'सी' की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

मुख्य सचिव/अध्यक्ष राजस्व परिषद्
प्रमुख सचिव (राजस्व)
सचिव राजस्व/राजस्व आयुक्त
आयुक्त कुमाऊं मण्डल
अपर सचिव (राजस्व)
जिलाधिकारी
अपर जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में वित्तीय लेन-देन एवं प्राप्तियों की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिलाधिकारी, नैनीताल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 व 16, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

शून्य

भाग-II 'ब'

<u>प्रस्तर-01-</u> ₹496.84 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया जाना।

जनपद नैनीताल में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान दैवीय आपदा के तहत विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु ₹709.82 लाख अवमुक्त किया गया था। विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	आबंटित राशि			उपयोगिता प्रमाण की राशि		
		2015-16	2016-17	योग	2015-16	2016-17	योग
1.	प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि., नैनीताल	36.02	84.51	120.53	10.81	25.35	36.16
2.	अस्थायी खण्ड, लो.नि.वि. भवाली	18.76	123.30	142.06	5.63	36.99	42.62
3.	निर्माण खण्ड, लो.नि.वि. नैनीताल	17.0	28.69	45.96	05.10	8.61	13.71
4.	निर्माण खण्ड, लो.नि.वि. रामनगर	17.15	47.02	64.17	5.15	14.11	19.26
5.	पी.एम.जे.एस.वाई, ज्योलीकोट	9.09	32.02	41.11	2.73	9.61	12.34
6.	पी.एम.जे.एस.वाई, काठगोदाम	0	61.50	61.50	0	18.45	18.45
7.	लघु सिंचाई, भीमताल	4.47	7.98	12.45	1.34	2.39	3.73
8.	जल संस्थान, नैनीताल	34.53	48.297	82.827	10.36	14.49	24.85
9.	जल संस्थान, हल्द्वानी	0	19.12	19.12	0	5.74	5.74
10.	मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल	6.41	8.85	15.26	1.92	2.66	4.58
11.	खण्ड विकास अधिकारी, बेतालघाट	6.95	9.28	16.23	2.09	2.78	4.87
12.	खण्ड विकास अधिकारी, भीमताल	0	8.02	8.02	0	2.41	2.41
13.	खण्ड विकास अधिकारी, हल्द्वानी	7.81	.67	8.48	2.34	.2	2.54
14.	नगर पालिका परिषद, नैनीताल	0	7.50	7.50	0	2.25	2.25
15.	नगर पालिका परिषद, भवाली	0	.47	.47	0	.14	.14
16.	सिंचाई खण्ड, नैनीताल	0	16.53	16.53	0	4.96	4.96
17.	सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी	0	28.62	28.62	0	8.59	8.59
18.	सिंचाई खण्ड, रामनगर	0	4.50	4.50	0	1.35	1.35
19.	ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल	0	4.25	4.25	0	1.28	1.28
20.	जिला पंचायत, नैनीताल	0	10.50	10.50	0	3.15	3.15
योग		158.63	551.63	709.82	47.47	165.51	212.98

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यों के मरम्मत/पुनर्निर्माण अल्प अवधि 90 दिनों के अन्दर निष्पादित कराकर लाभार्थियों/प्रभावितों को तत्काल लाभ पहुंचाने की योजना थी। दिशानिर्देश के अनुसार समस्त कार्य पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्थाओं से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित कराया जाना चाहिए था। परन्तु लेखापरीक्षा तिथि तक ₹496.84 लाख की उपयोगिता प्रमाण पत्र इकाई को प्राप्त नहीं हुआ।

इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि संबंधित कार्यदायी संस्थाओं से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा।

लेखापरीक्षा में उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि दैवीय आपदा के कार्य तत्कालिक प्रकृति के होते हैं ताकि प्रभावितों को जल्द से जल्द राहत मिले। समय से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु जनपद प्रशासन को तत्परता दिखायी जानी चाहिए।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	प्रस्तर का विवरण
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-01/2012-13	-	01	भाग-II 'ब' प्रस्तर-01 पटवारी चौकियों का हस्तान्तरण न किया जाना।
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-43/2014-15	-	02	भाग-II 'ब' प्रस्तर-1 (a) धनराशि ₹ 68.98 लाख का अवरोधन। प्रस्तर-1 (b) ₹ 23.03 लाख की धनराशि विगत 10 वर्षों से निर्माण इकाई के पास अवरूद्ध रखा जाना। भाग-II 'ब' प्रस्तर-02 अग्रिम धनराशि ₹ 182326 का समायोजन न किया जाना।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-01/2012-13	भाग-2 'ब' प्रस्तर-01	अनुपालन आख्या उच्चाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त सम्प्रेक्षा को प्रेषित किया जायेगा		
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-43/2014-15	भाग-2 'ब' प्रस्तर-01 (a, b) एवं प्रस्तर-02			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, नैनीताल तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

   1.निर्माण संबंधी अभिलेख

   2. भूमि संबंधी अभिलेख

   3. कार्यालय की लेखा अवधि 03/2015 से 06/2017 के दौरान में चयनित माह 03/2016 एवं 03/2017 के कुल रू 478.37 लाख के वाउचर्स प्रस्तुत न किया जाना।

2. सतत् अनियमितताएः शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्री दीपक रावत	जिलाधिकारी	10.11.2014	29.04.2017
2.	श्री दीपेन्द्र कुमार चौधरी	जिलाधिकारी	29.04.2017	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

सामान्य क्षेत्र